(4)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 133/2024 दायर दिनांक: 27.12.2022

उनवान

1. छीतरलाल पुत्र नानूराम जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल
2. जीवन कटारा पुत्र छीतरलाल जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल
3. मदनलाल पुत्र भंवरलाल जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल
4. शोभाराम पुत्र हीरालाल जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल

प्रार्थीगण

बनाम

1. गंगाराम पुत्र काना जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल
2. तोफान पुत्र मांगीलाल जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल
3. फुलबाई पानी स्व. मांगीलाल जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल
4. बदीलाल पुत्र मांगीलाल जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल
5. मुकेश पुत्र मांगीलाल जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल
6. लीलाबाई पुत्री मांगीलाल जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल
7. कलावतीबाई पुत्री गोरीलाल जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल
8. कालूलाल पुत्र बापू जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल
9. दुर्गालाल पुत्र बापू जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल
10. मृतक – द्रोपदीबाई पत्नी स्व. गोरीलाल जाति भील नि. गुराडिया
11. धापूबाई पुत्र गौरीलाल जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल
12. नन्दूबाई पुत्री गोरीलाल जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल
13. प्रेमबाई पुत्री गौरीलाल जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल
14. भगवान पुत्र गोरीलाल जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल
15. मैरूलाल पुत्र गौरीलाल जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल
16. रामभरोस पुत्र बापू जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल
17. सीताबाई पुत्र गोरीलाल जाति भील नि. गुराडिया तहसील सुनेल
18. मैनेजर आई. सी. आई. सी. आई बैंक लिमिटेड शाखा झालरापाटन
19. मेनेजर सेन्ट्रल बैंक इण्डिया शाखा झालरापाटन
20. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल

अप्रार्थीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:28:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

हक्टयर कुल खसरा किता 06 कुल रकबा 3.5664 ...

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक :–
प्रार्थीगण :– श्री हुकुमचन्द कुमावात
अप्रार्थी सं. 1 से 9 व 11 से 17 :– श्री प्रेमचन्द चौधरी
अप्रार्थी सं. 18, 19 :– एकतरफा
अप्रार्थी सं. 20 :– पेरोकार सरकार

निर्णय

दिनाकः 05.03.2025

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगण उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि यह कि ग्राम गुराडिया प.म. गादिया तहसील सुनेल में स्थित आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के अनुसार खाता संख्या नया 57. पुराना 77 में दर्ज आराजी खसरा संख्या 506 रकबा 0.5438 हैक्टेयर, खसरा संख्या 508 रकबा 0.2865 हैक्टेयर, खसरा संख्या 512/645 रकबा 1.9223 हैक्टेयर, खसरा संख्या 514 रकबा 0.6576 हैक्टेयर, खसरा संख्या 774/503 रकबा 0.1265 हैक्टेयर, खसरा संख्या 775/515 रकबा 0. 0506 हैक्टेयर कुल खसरा किता 06 कुल रकबा 35664 हैक्टेयर आराजी प्रार्थी नं. 01 व 02 के खातेदारी में हैं। यह कि ग्राम गुराड़िया प.म.गादिया तहसील सुनेल में स्थित आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के अनुसार खाता संख्या नया 155, पुराना 77 में दर्ज आराजी खसरा संख्या 511 रकबा 0.5691 हैक्टेयर खसरा संख्या 515 रकबा 0.3288 हैक्टेयर, खसरा संख्या 777/512 रकबा 0.1138 हैक्टेयर कुल खसरा किता 03 कुल रकबा 1.0117 हैक्टेयर आराजी प्रार्थी नं. 03 के खातेदारी में है। यह कि ग्राम गुराड़िया पटवार हल्का गादिया तहसील सुनेल में स्थित आराजी जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 के अनुसार खसरा संख्या 776/515 रकबा 0.1391 हैक्टेयर, खसरा संख्या 792/512 रकबा 0.8726 हैक्टेयर कुल खसरा किता 02 कुल रकबा 10117 हैक्टेयर आराजी प्रार्थी नं. 04 के संयुक्त खातेदारी में हैं। सह–खातेदार के रूप में प्रार्थी नं. 04 की बहन ललीताबाई के पुत्र पुत्री दर्ज है परन्तु समस्त रकबा भूमि पर काश्त शोभाराम ही करता है। यह कि प्रार्थी छीतरलाल, जीवन के खसरा संख्या 506, 508, 775/515, 514, 512/645 एवं प्रार्थी के मदनलाल के खसरा संख्या 511 तथा प्रा[illegible] के खसरा संख्या 776/515 792/512 में पहुँच[illegible] रास्ता उत्तर [illegible] से गांव से चलकर खसरा संख्या 461 के उत्तर [illegible] पश्चिम रास्ता

2

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:28:08 IST
Reason: SelfAttested

(6)

होकर यह घूमकर पुनः उत्तर से दक्षिण खसरा संख्या 461 की पश्चिमी मेड़ पर कायम हैं। यह रास्ता प्रार्थी नं. 01 व 02 ने माननीय न्यायालय के आदेश/निर्णय के अनुसार खातेदार खसरा संख्या 461 को डी. एल. सी दर से राशि चुका कर प्रकरण संख्या 49/2022 उनवान छीतरलाल बनाम कनीराम वगैरा अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट तहत दिनांक 06.07.2022 निर्णय की पालना में गैरमुमकिन रास्ता प्राप्त किया है। इस रास्ते के समस्त अधिकार प्रार्थी नं. 01 व 02 के पास सुरक्षित हैं। इस रास्ते का प्रार्थीगण उपयोग–उपभोग कर रहे हैं। आगे प्रार्थीगण के खसरा नम्बरान में जाने के लिए प्रार्थीगण को खसरा संख्या 507, 509 की दक्षिणी मेड़ पर पूरब से पश्चिम लम्बाई में तथा खसरा संख्या 456, 510/653 के मध्य दोनो मेड़ पर पूरब से पश्चिम चौड़ाई में 12 फीट चौड़ा तथा उत्तर से दक्षिण लम्बाई में रास्ता प्रार्थीगण के खसरा नम्बरान रास्ता जो खसरा संख्या 511 तक पहुँचता है। इस रास्ते को सुविधा की दृष्टि से प्रार्थीगण ने परिशिष्ट अ में गुलाबी रंग से दर्शाया है यह रास्ता प्राथर्थीगण के लिए एक मात्र है इस रास्ते का उपयोग करके प्रार्थीगण सुगमता से अपने कृषि औजार, ट्रैक्टर–ट्रॉली, उपज, बीज, खाद, जानवर, गाड़ी–बैल आदि सुगमता से ला–ले जा सकते है. निकाल सकते है इस कारण यही रास्ता प्रार्थीगण के खसरा संख्या कृषि भूमि में सुगमता से निर्विरोध शान्ति पूर्वक बिना किसी विवाद के, बिना रोक टोक के उपयोगी अतिआवश्यक रास्ता है जिसका डी. एल.सी दर से भूमि का मुआवजा राशि चुका कर रास्ता प्राप्त करना चाहते है इसके अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है। इस कारण दर्शाया गया रास्ता डी.एल.सी दर दिलवाया जाना आवश्यक हैं। यह कि उक्त रास्ते का विवाद अप्रार्थीगण ने वर्तमान में उत्पन्न किया है पूर्व में रास्ता चालू रहा है परन्तु अन्य रास्ता प्रार्थीगण ने खसरा संख्या 461 में खातेदार से डी.एल.सी दर से माननीय न्यायालय के निर्णय अनुसार प्राप्त किया तथा इससे आगे का रास्ता खातेदार द्वारा अप्रार्थीगण के लिए रोकने से विवाद उत्पन्न होना तथा उस विवाद की आड में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण की आराजी में नया रास्ता बनाने का प्रयास किया गया जिसका विरोध [illegible] के द्वारा किये जाने पर बदले की भावना से ग्रसित होकर [illegible] की रास्ता प्रार्थना पत्र में वर्णित खसरा नम्बरान [illegible] काल से रास्ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:28:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(7)

जिस पर प्रार्थीगण वर्षों से निकलते रहे है जिसे अप्रार्थीगण द्वारा बन्द करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त रास्ता डी.एल.सी दर से मुआवजा राशि चुका कर खातेदार अप्रार्थीगण से प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ ताकि भविष्य में रास्ते को लेकर विवाद न हो और शान्ति पूर्वक उपयोग कर सके। यह कि प्रार्थीगण ने अपने स्तर पर समझाने के काफी प्रयास किये है परन्तु विवाद का समाधान नहीं हो सका तथा लड़ाई–झगडे की स्थिति उत्पन्न होगे लगी पैदल, जानवर, बैल–गाड़ी, सामद के लिए चालू रास्ते रास्ते को बन्द करने का प्रयास किया। इस कारण प्रार्थीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि धारा 251 ए आर. टी. एक्ट के तहत माननीय न्यायालय से रास्ता प्राप्त कर समस्त अवरोध हटाकर रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो सके। यह कि वाद कारण लगभग 02 माह पूर्व उत्पन्न हुआ जब अप्रार्थीगण ने सनातनी रास्ते को 12 फीट के रास्ते में रूकावट, अवरोध लगाने से वाद कारण उत्पन्न हुआ है। यही वाद कारण रहा है। यह कि विवादित भूमि, रास्ता प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि ग्राम गुराड़िया तहसील सुनेल में स्थित होने से माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं तथा प्रार्थना पत्र उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। यह कि माननीय न्यायालय में धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र की सुनवाई एवं निर्णय का क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश प्रार्थीगण माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते है कि बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थीगण के खसरा संख्या 511, 512, 512/645, 776/515, 792/512, 775/512, 515 पर पहुँचने के लिए रास्ता 12 फीट की चौड़ाई काए से बी, सी से डी. डी से ई स्थान पर पूर्ण लम्बाई में 12 फीट चौड़ाई रास्ता जिसका विस्तृत विवरण प्रार्थना पत्र के चरण क्रमांक 04 में किया हैं। इस रास्ते को जरिये तहसीलदार सुनेल सीमांकन करवा कर प्रार्थीगण के रास्ते के उपभोग में आने वाली भूमि का मुआवजा डी.एल.सी दर से जमा करवा कर रास्ता अप्रार्थीगण से प्रार्थीगण को दिलवा कर राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज करने का आदेशधनिर्णय पारित करने की कृपा ... न्यायोचित राहत जो भी उचित एवं आवश्यक हो प्रार्थीगण को माननीय न्यायालय को प्रदान की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:28:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

4

Scanned with OKEN Scanner

(8)

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 से 9 व 11 से 17 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 1 में प्रार्थीगणों द्वारा दर्ज अंकित आराजीयात राजस्व रेकार्ड के अनुसार सही होना स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 2 में प्रार्थीगणों द्वारा दर्ज अंकित आराजीयात राजस्व रेकार्ड के अनुसार सही होना स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 3 में प्रार्थीगणों द्वारा दर्ज अंकित आराजीयात राजस्व रेकार्ड के अनुसार सही होना स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 4 में अंकित रास्ता जो छीतरलाल. जीवन के खसरा नम्बर 506, 508, 775/515, 514, 512/645 एवं प्रार्थी मदनलाल के खसरा नम्बर 511 तथा प्रार्थी शोभाराम के खसरा नम्बर 776/515, 792/512 में पहुँचने का रास्ता उत्तर दिशा से गाँव से चलकर खसरा नम्बर 461 के उत्तर दिशा में पूर्व दिशा से पश्चिम रास्ता होकर यह घूमकर पुनः उत्तर से दक्षिण खसरा संख्या– 461 की पश्चिम मेढ पर कायम है। गलत होने से अस्वीकार है। चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रकरण संख्या 49/2022 उनवान छीतरलाल बनाम कनीराम वगैरह धारा-251ए राज.टी.एक्ट के तहत दिनांक 06.07.2022 निर्णय की पालना में गैर मुमकिन रास्ता प्राप्त किया जो सनातन काल का अप्रार्थीगणों द्वारा उपयोग उपभोग किया गया रास्ता रहा जिसे प्रार्थी छीतरलाल के द्वारा माननीय न्यायालय में खसरा नम्बर 461 के उत्तर दिशा में पूर्व दिशा से पश्चिम रास्ता होकर यह घूमकर पुनः उत्तर से दक्षिण खसरा नम्बर 461 की पश्चिम मेढ पर कायम रहा जो सनातनी रास्ता था डी.एल.सी. दर से राशि चुका कर उक्त राशि में अप्रार्थीगणों द्वारा राशि छीतरलाल को दी गई। इसलिए उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग निरन्तर अप्रार्थीगण करते आ रहे है जिससे उक्त रास्ते का अधिकार प्रार्थी छीतरलाल, जीवन, के साथ साथ अप्रार्थी को भी प्राप्त है। यह एक मात्र रास्ता जिसका अप्रार्थीगण सनातन काल से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। खसरा नम्बर 461 से रास्ता आगे चलकर अप्रार्थीगणों की आराजी खसरा नम्बरान से होकर गुजरता है। जिसका उपयोग उपभोग अप्रार्थीगण सुविधानुसार चले आ रहे है। यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 5 में ... बनावटी एवं आराजीयात नष्ट करने एवं प्रार्थी धन ... करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:28:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

हैक्टेयर कुल खसरा किता 06 कुल रकबा 3.5664 हैक्टेयर आराजी प्रार्थी नं. 01 व 02 के खातेदारी में हैं।

Scanned with OKEN Scanner

प्रयास से प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रार्थीगण अप्रार्थीगणो की आराजी में रास्ता कायम कर उक्त रास्तो पर अप्रार्थीगणों को उसका उपयोग नहीं करने की गरज से एवं अप्रार्थीगणों को दबाव में रखने के उद्देश्य से प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय मे पेश किया है जो काबिज खारीज होने योग्य है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 6 अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 7 गलत होने से अस्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 8 कानूनी है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नम्बर 9 अस्वीकार है। शेष प्रार्थना पत्र मे चाहा गया अनुतोष गलत विधि विरूद्ध होने से अस्वीकार है। अतः प्रार्थीगणों का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारीज किये जाने की कृपा करे। <u>काउन्टर प्रार्थना पत्र</u> में निवेदन किया कि ग्राम गुराडिया प.ह. गादिया में स्थित आराजी खसरा नम्बर 510, 510/653, 504 अप्रार्थीगण 1 लगायत 6 की खातेदारी में दर्ज है। यह कि ग्राम गुराडिया प.ह. गादिया में स्थित आराजी खसर नम्बर 507 अप्रार्थीगण संख्या 8, 9, 14, 15, 16 के खातेदारी में दर्ज है। यह कि खसरा नम्बर 507, 510, 510/653, 504 पर पहुंच मार्ग अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा संलग्न है नजरी नक्शा में दर्शित किया गया है के अनुसार राजस्व रेकार्ड में रास्ता अंकित कर अप्रार्थीगणों का अधिकार सुनिश्चित कर भविष्य में प्रार्थीगणों छीतरलाल, जीवन कटारा, मदनलाल, शोभाराम को पाबन्द किया जावे की उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे। अप्रार्थीगणों के कृषि औजार ट्रेक्टर, ट्रोली उपज, बीज, खाद, जानवर, गाडी, बैल व अन्य उपयोगी कृषि यंत्र को लाने ले जाने में व्यवधान विवाद नहीं करे। यह कि अप्रार्थीगणों का रास्ता जो गाँव से चलकर खसरा नम्बर 461 के उत्तर दिशा में पूर्व दिशा से पश्चिमी रास्ते से होकर घुमकर पुनः उत्तर से दक्षिणी खसरा नम्बर 461 की पश्चिमी मेढ़ पर से होकर अप्रार्थी छीतरलाल की आराजी खसरा नम्बर 506 की पूर्वी मेढ़ से होकर अप्रार्थी के खसरा 506 की पूर्व मेढ से होकर खसरा नम्बर 507 की दक्षिण मेढ़ से होता हुआ प्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर 608 की दक्षिण मेंढ से निरन्तर खसरा नम्बर 504 की दक्षिण मेड से आगे पूर्व दिशा की ओर घुमकर अप्रार्थी की अ[illegible] खसरा नम्बर 810/683 की पश्चिमी मेड से चलकर [illegible] की आरा[illegible] खसरा नं. 815, 811, 792/512, 814 पर सुगमता से पहुँच [illegible] है जिससे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:28:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

हैक्टेयर कुल खसरा किता ...

Scanned with OKEN Scanner

भविष्य में किसी प्रकार रास्ते का विवाद नहीं रहता है। अतः प्रार्थना पत्र मय काउन्टर स्वीकार कर अप्रार्थीगण माननीय न्यायालय से प्रार्थना करते है कि जिसमें प्रार्थीगणों के रास्ते को इस आशय के साथ राजश्व में रास्ता कायम करे की उक्त अप्रार्थीगणों द्वारा संलग्न नजरी नवशा ए से बी के राजस्व में रास्ता अंकित किया जाये जिस पर आने जाने का अधिकार जिसमें ट्रेक्टर, ट्रेली, जानवर, कृषि औजार लाने ले जाने में रास्ते का उपयोग उपभोग करने में उभयपक्ष का अधिकार सुरक्षित रखते हुए खसरा नम्बर 461 के उत्तर दिशा में पूर्व दिशा से पश्चिमी रास्ता हो कर यह घुमकर पुनः उत्तर से दक्षिणी खसरा नम्बर 461 की पश्चिमी मेढ पर से होकर अप्रार्थी छीतरलाल की आराजी खसरा नम्बर 506 की पूर्वी मेढ से होकर खसरा नम्बर 506 की दक्षिण दिशा की मेढ़ पर से होकर अप्रार्थी के खसरा नम्बर 507 की दक्षिण मेढ़ से होता हुआ प्रार्थी छीतरलाल वगैरा की आराजी खसरा नम्बर 508 के दक्षिण मेढ़ से निरन्तर अप्रार्थी की आराजी खसरा नम्बर– 504 की दक्षिण मेढ से आगे पूर्व दिशा की ओर घुमकर अप्रार्थी की आराजीथात 510/653 की पश्चिम मेढ़ से चलकर प्रार्थीगणो की आराजी मे पहुँच आता है का राजस्व रेकार्ड मे सुविधानुसार डी.एल.सी. दर पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगणों की आराजीयात की राशि जमाकर रास्ता राजस्व कायम किये जाने की कृपा करे। अन्य न्यायोचित राहत अप्रार्थीगणो को प्रदान करने की कृपा करे।

3. अप्रार्थी सं. 18 व 19 बावजूद के अनुपस्थित रहे अतः मृताबिक आदेशिका दिनांक 22.10.2024 उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 20 पेरोकार सरकार द्वारा पत्रांक राजस्व/2024/1044 दिनांक 15.10.2024 से जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की।

4. प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थीगण के काउन्टर प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि काउन्टर प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 01 में वर्णित खसरा नम्बरान अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार है। यह कि काउन्टर प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 02 में वर्णित खसरा नम्बरान अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज होना स्वीकार हैं। यह कि काउन्टर प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 03 में वर्णित कथन मय नजरी नक्शे में दर्शित रास्ता गलत होने से अस्वीकार हैं। यह भी अस्वीकार है कि ... प्रार्थीगणो

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:28:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

छीतरलाल, जीवन कटारा, मदनलाल, शौभाराम को पाबंद किया जावें कि उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। अप्रार्थीगणो के कृषि औजार, टैक्टर, ट्रॉली, बीज, खाद, जानवर, गाडी, बैल व अन्य उपयोगी कृषि यंत्र को लाने ले जाने में वव्यधान, विवाद नहीं करें। उक्त अनुतोष माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश द्वारा ही प्रदत्त किया जा सकता है ओर यह अनुतोष सुखाधिकार के अन्तर्गत घोषणा माननीय सिविल न्यायालय द्वारा स्वीकार करने पर ही दिया जा सकता है। इस कारण इस चरण में मांग किया गया अनुतोष धारा 251ए आर० टी० एक्ट० में प्रावधान नही होने से यह चरण अस्वीकार है। यह कि काउन्टर प्रार्थना पत्र के चरण कमांक 04 में वर्णित कथन आंक्षिक स्वीकार है। यह स्वीकार है कि रास्ता खसरा नम्बर 506 प्रार्थी की आराजी में दक्षिण दिशा में प्रार्थी का रास्ता है तथा प्रार्थीगण 507 की दक्षिणी एवं 510 की उत्तरी मेड के मध्य तथा इसी प्रकार इस रास्ते को आगे बढ़ते हुए खसरा नम्बर 509 कलावती व अन्य के खसरा नम्बर 510/653 दोनो की मध्य की मेड पर होकर ख़सरा नम्बर 510/653 की पश्चिमी मेड से होकर यह रास्ता खसरा नम्बर 456 की पूर्वी मेड पर होकर मदनलाल प्रार्थी के खसरा नम्बर 511 में पहुँचता है। इस रास्ते पर अप्रार्थीगण का हक, अधिकार नही है, ना ही यह रास्ता खसरा नम्बर 506 एवं 508 में अप्रार्थीगण ने मांग की हैं। यदि अप्रार्थीगण को रास्ते की आवश्यकता होती तो वह अन्तर्गत् धारा 251ए आर० टी० एक्ट० में प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश कर डी० एल० सी० दर से प्रार्थीगण खातेदार छीतरलाल, जीवन कटारा से मांग कर सकते थे। इस कारण अप्रार्थीगण का रास्ता खसरा नम्बर 506 व 508 में स्थित नहीं है और ना ही रास्ता अप्रार्थीगण के लिए बना हुआ हैं। अप्रार्थीगण इस चरण में रास्ता खसरा नम्बर 506 की पूर्वी मेड पर होना बताते है जो गलत है प्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 461 में डी० एल० सी० दर से दिनांक 06.07.2022 को प्रकरण संख्या 49/2022 में प्राप्त किया हैं। यह रास्ता खसरा नम्बर 461 की उत्तरी मेड से होकर खसरा नम्बर 461 की पश्चिमी मेड पर होकर प्रार्थी के खसरा नम्बर 457 में प्रवे[illegible] सनातनी रास्ता खसरा नम्बर 461 की पश्चिमी मे[illegible] है जो वर्तमान में चालू है यह रास्ता खसरा [illegible] से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:28:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

खसरा नम्बर 503 मे प्रवेश करता हैं। इस प्रकार रास्ता प्रार्थीगण के खसरा नम्बर 457, 506, 505, 508 में अप्रार्थीगण का रास्ता स्थापित नही है और ना ही कभी भूतकाल में या वर्तमान में प्रार्थीगण के खरारा नम्बर 457, 506, 505, 508 में प्रवेश होकर अपने खसरा नम्बर पर नहीं पहुँचे हैं। इस कारण यह चरण अस्वीकार है। <u>विशेष कथन</u> में निवेदन किया कि यह कि अन्तर्गत् धारा 251ए आर० टी० एक्ट० में काउन्टर प्रार्थना पत्र का प्रावधान नहीं हैं। अप्रार्थीगण ने गलत तथ्यों पर काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण को रास्ते की मांग खसरा संख्या 461 के विरूद्ध किया जाना है तथा अप्रार्थीगण का रास्ता सुगम एवं उचित रास्ता खसरा संख्या 461 में निर्धारित होना हैं। इस कारण काउन्टर प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य हैं। यह कि अप्रार्थीगण अपने जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में रास्ते को सनातल काल का अप्रार्थीगणो द्वारा उपयोग उपभोग किया रास्ता रहा बताते है इससे अप्रार्थीगण यह साबित करना चाहते है कि रास्ता सनातन काल का है गलत हैं। अप्रार्थीगण के खसरा नम्बरान पर पहुँचने के लिए यह रास्ता नहीं होकर अन्य रास्ता खसरा नम्बर 461 पर होकर खसरा नम्बर 503 में रहा है जो वर्तमान में चालू हैं। इस कारण अप्रार्थीगण जिस रास्ते की मांग करते है वह अस्वीकार हैं। यह कि प्रार्थीगण ने पूर्व में खसरा नम्बर 461 में डी० एल० सी० दर से राशि जमा करवाकर रास्ता प्राप्त किया है इस रास्ते को प्राप्त करने में अप्रार्थीगण का कोई सहयोग नहीं रहा है। डी० एल० सी० दर की सम्पूर्ण राशि जो माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि 56300/– रू0 प्रार्थी छीतरलाल एवं जीवन कटारा के द्वारा दिनांक 30.08.2022 को तहसीलदार सुनेल के कार्यालय में जमा की गई हैं। इस राशि में अप्रार्थीगण का कोई किसी भी अंश राशि तक सहयोग नहीं रहा है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में निर्धारित रास्ता जो खसरा नम्बर 461 में प्राप्त किया हैं। इस पर अप्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं हैं। जहाँ तक प्रार्थीगण ने रास्ता प्राप्त किया वहाँ अपने खसरा नम्बर 457 में प्रार्थी ने लोहे का दरवाजा बना रखा है तथा खसरा नम्बर 461 की पश्चिमी मेड पर वर्तमान में रास्ता बना हुआ हैं। इस रास्ते का उपयोग [illegible] है यदि अप्रार्थीगण को रास्ते की कोई समस्या है तो अप्रार्थीगण [illegible] 461 के खातेदारो के विरूद्ध वाद/प्रार्थना पत्र पेश कर डी० एल० सी० दर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:28:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

हैक्टेयर कुल खसरा किता 06 कुल रकबा 3.5661 है...

से रास्ता प्राप्त करने को स्वतंत्र हैं। इस कारण अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 457, 506 में रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। यह कि जवाब काउन्टर प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थीगण ने रास्ते के फोटो ग्राफ्स 09 किता पेश किये है जिसमें अप्रार्थीगण का रास्ता स्पष्ट दर्शित हैं। यह कि अन्य कारण कानूनी बिन्दुओ पर वक्त बहस माननीय न्यायालय की इजाजत से अर्ज किये जायेगें। अतः जवाब काउन्टर पेश कर प्रार्थना है कि अप्रार्थीगण द्वारा पेश काउन्टर प्रार्थना पत्र खारीज किया जाकर प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत् धारा 251ए आर० टी० एक्ट० स्वीकार करने की कृपा करें।

5. प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में ग्राम गुराडिया का नजरी नक्शा दिनांक 27.12.2022 परिशिष्ट ए, ग्राम गुराडिया का खाता सं. 57, 155, 220, 118, 149 की जमाबंदी सं. 2075–78 की नकल, मदनलाल, छीतरलाल, जीवन कटारा, शोभाराम का आधारकार्ड एवं न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा के प्रकरण सं. 49/2022 छीतरलाल बनाम कन्हीराम का निर्णय दिनांक 06.07.2022 की छायाप्रति एवं वादग्रस्त आराजी के फोटोग्राफस व नजरी नक्शा परिशिष्ट अ प्रस्तुत की।

6. अप्रार्थीगण द्वारा अपने जवाब एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र के समर्थन में नजरी नक्शा दिनांक 24.12.2024 प्रस्तुत किया।

7. अप्रार्थी सं. 20 पैरोकार सरकार से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र क्रमांक/राजस्व/2024/1044 दिनांक 15.10.2024 से भू. अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट दिनांक 14.10.2024 नजरी नक्शा व नक्शा ट्रेस के साथ प्रस्तुत की।

8. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि ग्राम गुराडिया तहसील सुनेल स्थित प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी ख.नं. 511, 512, 792/512, 512/645, 776/515, 775/512 व 515 तक प[illegible] न तो कोई रिकार्डेड रास्ता है और न ही कोई [illegible] रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण अस्थाई व्यवस्था के [illegible] अप्रार्थीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:28:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible] (राज०)

हैक्टेयर कुल खसरा किता 06 कुल रकबा 3.560[illegible]

Scanned with OKEN Scanner

(14)

आराजी ख नं. 507, 509, 510 व 510/653 की शामलाती मेड से होकर पूर्व से पश्चिम की ओर से होते हुए अपनी आराजी ख.नं. 511, 512/645, 515 आदि पर पहुँचते आ रहे है लेकिन कुछ समय पहले अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते पर तार खम्बे लगाकर बंद कर दिया और लडाई झगडे पर आमदा हो गये। खेत तक पहूँच हेतु रिकार्डेड रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण की आराजी के पडत रहने की संभावना है और खेत के पडत रहने से परिवार के भरण पोषण की समस्या उत्पन्न होगी। अतः प्राथीगण को रास्ते की अति आवश्यकता है। प्रार्थीगण रास्ते के उपयोग में आने वाली भूमि का डीएलसी की दुगुनी दरो से क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार है। अभिभापक प्रार्थीगण द्वारा आगे कथन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के उत्तर में स्थित स्वयं की आराजी ख.नं. 457 व 458 पर पहूँच हेतु माननीय न्यायालय के प्रकरण सं. 49/2022 छीतरलाल बनाम कनीराम वगै. में आदेश दिनांक 06.07.2022 से ख.नं. 461 में होकर नियमानुसार रास्ता प्राप्त किया था जो वर्तमान में मौके पर चालू है और प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण दोनो द्वारा उपयोग व उपभोग किया जा रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट स्वीकार फरमाया जावे।

9. अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान जवाब प्रार्थना मय काउन्टर प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दूओ को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी ख.नं. 507, 509, 510 व 510/653 तक पहूँच हेतु वर्तमान में कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है और न ही कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अप्रार्थीगण अपनी आराजी तक पहूँचने के लिए अस्थाई व्यवस्था के लिए प्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 457, 505, 506 व 508 से होकर 507, 509 व 510 आदि तक पहूँचते आ रहे है। ख.नं. 457 तक प्रार्थीगण के साथ साथ अप्रार्थीगण द्वारा भी ख.नं. 461 में होकर पूर्व में धारा 251 ए के अधीन इस न्यायालय से आदेश दिनांक 06.07.2022 के तहत रास्ता प्राप्त किया था जिसका प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण उपयोग व उपभोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण जब अप्रार्थीगण को ख.नं. 457 व 506 की पूर्वी मेड के सहारे से आने जाने से रोकते है तो अप्रार्थीगण [illegible] आराजी से गुजरने से रोकेंगे। प्रार्थीगण द्वारा अपनी [illegible] 505, [illegible] व 508 से होकर आने जाने पर रोकने व लडाई झगडा [illegible] अप्रार्थीगण की भूमि

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:28:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

हैक्टेयर कुल खसरा किता 06 कुल रकबा 3.5664 हैक्टेयर

Scanned with OKEN Scanner

पडत रह जावेगी और परिवार के पालन पोषण पर संकट उत्पन्न हो जावेगा। अप्रार्थीगण भी रास्ते की भूमि की क्षतिपूर्ति में डीएलसी की दुगुनी दर से भुगतान करने को सहमत है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के साथ साथ अप्रार्थीगण के विपरीत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर दोनो पक्षों के बीच रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध करवाया जावे ताकि हमेशा के लिए रास्ते की समस्या समाप्त हो जावे। यदि अप्रार्थीगण को विपरीत प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है तो प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र भी खारीज फरमाया जावे।

10. अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी। प्रार्थना पत्र एवं प्रति प्रार्थना पत्र पर बहस के प्रकाश में पत्रावली अवलोकन व मनन किया गया। प्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 457 तक पहूँच हेतु मुख्य सडक से होकर ख.नं. 461 से रास्ता इस न्यायालय द्वारा वाद सं. 49/2022 एवं 136/2024 उनवान छीतरलाल बनाम कनीराम अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट में दिये गये निर्णय दिनांक 14.02.2025 से दिया जा चुका है। प्रार्थीगण ने अपनी आराजी ख.नं. 457 व 506 से आगे दक्षिण पश्चिम में स्थित अपनी अन्य आराजी ख. नं. 511, 512, 512/645, 515 आदि तक पहूँच हेतु नवीन रास्ता चाहने के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा भी अपनी आराजी ख.नं. 507 व 509, 510 आदि तक प्रार्थीगण की आराजी से होकर पहूँच हेतु प्रति प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः जाहिर है कि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की भूमि में होकर और अप्रार्थीगण, प्रार्थीगण की भूमि में होकर नवीन रास्ता चाहते है।

11. धारा 251 क आर0टी0एक्ट0 के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो की पालना जरूरी है:-

(i) रिकार्डेड व वैकल्पिक रास्ता नहीं होना – प्रार्थीगण द्वारा पेश ग्राम गुराडिया के ख.नं. 457 व 461 की हाल जमाबंदी सं. 2075–78, पेश गुगल फाटोग्राफस सं. 1 से 9 दिनांक 26.12.2024 एवं अप्रार्थीगण के जवाब प्रार्थना पत्र के आधार पर यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 457 पर पहूँच हेतु इस न्यायालय द्वारा प्रकरण सं. 136/2024 छीतरलाल बनाम कनीराम में निर्णय दिनांक 14.02.2025 से रिकार्डेड रास्ता दिया जा चुका है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.08.24 11:28:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

हैक्टेयर कुल खसरा किता 06 कुल रकबा ...

Scanned with OKEN Scanner

ख.नं. 457 से लगवा पूर्व दक्षिण में प्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 506 एवं शामलाती आराजी ख.नं. 505 स्थित है। प्रार्थीगण के ख.नं. 506 के लगवा पश्चिम में अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 507 व दक्षिण में ख.नं. 510 स्थित है। ख.नं. 507 व 510 तक पहूँच हेतु भी कोई रिकार्डेड व वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। अप्रार्थीगण ख.नं. 507 व 510 तक पहूँचने के लिए भी प्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 506 व शामलाती आराजी ख.नं. 505 की पूर्वी मेड से होकर अस्थाई रूप से निकल रहे है। प्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 511, 512/645, 515 आदि तक पहूँच हेतु भी कोई रिकार्डेड व वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण भी उक्त आराजी तक पहूँच हेतु अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 507, 510, 509, 510/653 आदि की मेड से होकर अस्थाई रूप से गुजरते आ रहे है। अतः जाहिर है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो की वादग्रस्त आराजी तक पहूँच हेतु न तो कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध है और न ही वैकल्पिक कच्चा/पक्का रास्ता उपलब्ध है। दोनो ही व्यवस्तार्थ हेतु अस्थाई रूप से एक दूसरे की मेड से होकर गुजरते आ रहो है। प्रार्थीगण द्वारा पेश अप्रमाणित खसरा नक्शा परिशिष्ट अ दिनांक 27.12.2022, अप्रार्थीगण द्वारा पेश अप्रमाणित नजरी नक्शा दिनांक 24.12.2024, तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र क्रमांक राजस्व/2024/1044 दिनांक 15.10.2024 से पेश मौका रिपोट मय नजरी नक्शा आदि के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खाते एवं कब्जे की आराजी ख.नं. 511, 512, 512/645, 515 तक पहूँच हेतु न तो कोई रिकार्डेड रास्ता है और न ही मौके पर कोई कच्चा/पक्का वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण के खाते एवं कब्जे की आराजी ख.नं. 507, 509, 510 व 510/653 तक पहूँच हेतु भी न तो कोई रिकार्डेड रास्ता है और न ही मौके पर कोई कच्चा/पक्का वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का व्यवस्तार्थ अस्थाई रूप से एक दूसरे की मेड की सहारे से गुजर कर फसल बोना जाहिर होता है। **अतः साबित है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो की वादग्रस्त आराजीयात पर पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता व वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।**

(ii) रास्ते की अति आवश्यकता होना– ग्राम ... की आराजी ख.नं. 511, 512, 512/645 व 515 की जमाबंदी सं. 2075 ... अवलोकन से

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:28:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी * जिला झालावाड़

हैक्टेयर कुल खसरा किता 06 कुल रकबा 3.5664 हैक्टेयर ...

जाहिर है कि प्रार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है अर्थात प्रार्थीगण एक खातेदार टीनेन्ट है। इसी प्रकार आराजी ख.नं. 507, 509, 510 व 510/653 के अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। उपर वर्णित मद कम 11 (i) में साबित है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो की उक्त आराजीयात पर पहूँच हेतु न तो कोई भी रिकार्डेड रास्ता है और न ही कोई वैकल्पिक रास्ता है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो का कथन है कि वे अपनी आरजीयात तक पहूँच हेतु अस्थाई व्यवस्था के रूप में कुछ समय से एक दूसरे की मेड के सहारे होते हुए पहुँचते आ रहे है लेकिन कुछ समय से एक दूसरे द्वारा एक दूसरे के रास्ते को रोक कर बंद करने और लडाई झगडे पर आमदा होने से अपने विभिन्न कार्यो हेतु कृषि उपकरण लाने ले जाने व स्वयं के आने जाने के लिए रास्ता नहीं होने से दोनो पक्षो के खेतो के पडत रहने की संभावना है। यह सही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपने खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। रास्ते के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को अवरूद्ध कर दिये जाने से आराजी के पडत रहने से काश्तकार के लिए भरण पोषण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251 ए जोडी गई है। **अतः साबित होता है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो को अपने खेतों पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की नितान्त आवश्यकता है।**

(iii) <u>सबसे लघुतम रास्ता होना</u>:– प्रार्थीगण द्वारा ग्राम गुराडिया के खाता सं. 57, 155, 220, 118, 149 आदि की जमाबंदी सं. 2075–78, पेश अप्रमाणित खसरा नक्शा परिशिष्ट अ दिनांक 27.12.2022, अप्रार्थीगण द्वारा पेश अप्रमाणित नजरी नक्शा दिनांक 24.12.2024, तहसीलदार सुनेल द्वारा पत्र कमांक राजस्व/2024/1044 दिनांक 15.10.2024 से पेश मौका रिपोट मय नजरी नक्शा आदि के आधार पर स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की खाते एवं कब्जे की आराजी ख.नं. 511, 512 व 515 आदि तक पहूँच हेतु लघुत्तम रास्ता ख.नं. 507 में दक्षिण मेड के सहारे 6 फीट चौडा व 148.5 फीट लम्बा अर्थात 891 वर्ग फीट यानि 0.0083 है., ख.नं. 510 की उत्तरी मेड के सहारे 6 फीट चौडा व 74.25 फीट लम्बा अर्थात 445.5 वर्ग फीट यानि 0.0041 है. ख.नं. 509 की दक्षिण मेड के सहारे 6 फीट चौडा व 74.25 फीट लम्बा अर्थात

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:28:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला [illegible] (राज॰)

Scanned with OKEN Scanner

(18)

445.5 वर्ग फीट यानि 0.0041 है. एवं ख.नं. 510/653 की उत्तरी मेड के सहारे 6 फीट चौडा व 247.5 फीट लम्बा अर्थात 1485 वर्ग फीट यानि 0.0138 है. तथा इसी की पश्चिम मेड के सहारे 12 फीट चौडा व 107.25 फीट लम्बा अर्थात 1287 वर्ग फीट यानि 0.0119 है. होगा। इसी प्रकार अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 507, 509, 510 व 510/653 तक पहूँच हेतु लघुत्तम रास्ता ख.नं. 508 की दक्षिण मेड के सहारे 6 फीट चौडा व 90.75 फीट लम्बा अर्थात 544.5 वर्ग फीट यानि 0.0050 है., ख.नं. 506 की पूर्वी मेड के सहारे 359 फीट लम्बा व 12 फीट चौडा एवं दक्षिण मेड के सहारे 12 फीट चौडा व 157 फीट लम्बा अर्थात कुल 6192 वर्ग फीट यानि 0.0572 है. होगा। धारा 251 ए आर.टी.एक्ट के अधीन लघुत्तम पहूँच मार्ग दिये जाने के प्रावधान है। **अतः प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो द्वारा चाहा गया रास्ता लघुत्तम पहूँच मार्ग साबित होता है। अतः प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण की भूमि से रास्ते में दी जाने वाली भूमि का रकबा 4554 वर्ग फीट यानि 0.0422 है. होगा एवं अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की भूमि से रास्ते में दी जाने वाली भूमि का रकबा कुल 6192 वर्ग फीट यानि 0.0572 है.होगी।**

(iv) डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतानः—प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण दोनो अपनी अपनी आराजीयात तक पहुंच हेतु आने वाली एक दूसरे की भूमि का **वर्तमान डीएलसी की दुगनी दर** से क्षतिपूर्ति/भुगतान करने हेतु सहमत है।

12 उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण तथा तहसीलदार सुनेल की मौका रिपोर्ट दिनांक 15.10.2024 के आधार पर प्रार्थीगण का ग्राम गुराडिया तहसील सुनेल की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 507, 509, 510 व 510/653 से होकर नवीन रास्ता कायम किये जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट0 एवं अप्रार्थीगण का ख.नं. 505, 506, 508 से होकर नवीन पहूँच मार्ग कायम करने का प्रति प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन एवं विष्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थीगण का प्रति प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:28:08 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

(19)

आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाता है। ग्राम गुराडिया तहसील सुनेल के ख. नं. प्रार्थीगण की खाते एवं कब्जे की आराजी ख.नं. 511, 512, 512/645 व 515 आदि तक पहूँच हेतु लघुत्तम रास्ता ख.नं. 507 में दक्षिण मेड के सहारे 6 फीट चौडा व 148.5 फीट लम्बा अर्थात 891 वर्ग फीट यानि 0.0083 है., ख.नं. 510 की उत्तरी मेड के सहारे 6 फीट चौडा व 74.25 फीट लम्बा अर्थात 445.5 वर्ग फीट यानि 0.0041 है., ख.नं. 509 की दक्षिण मेड के सहारे 6 फीट चौडा व 74.25 फीट लम्बा अर्थात 445.5 वर्ग फीट यानि 0.0041 है. एवं ख.नं. 510/653 की उत्तरी मेड के सहारे 6 फीट चौडा व 247.5 फीट लम्बा अर्थात 1485 वर्ग फीट यानि 0.0138 है. तथा इसी की पश्चिम मेड के सहारे 12 फीट चौडा व 107.25 फीट लम्बा अर्थात 1287 वर्ग फीट यानि 0.0119 है. भूमि का नवीन रास्ता कायम किये जाने और प्रार्थीगण को भूमि की क्षतिपूर्ति के रूप में ख.नं. 507, 510, 510/653 व 509 की वर्तमान डीएलसी दर के दुगुनी राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किये जाने के आदेश दिये जाते है। है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण की आराजी ख.नं. 507, 509, 510 व 510/653 तक पहूँच हेतु लघुत्तम रास्ता ख.नं. 508 की दक्षिण मेड के सहारे 6 फीट चौडा व 90.75 फीट लम्बा अर्थात 544.5 वर्ग फीट **यानि 0.0050 है.,** ख.नं. 506 की पूर्वी मेड के सहारे 359 फीट लम्बा व 12 फीट चौडा एवं दक्षिण मेड के सहारे 12 फीट चौडा व 157 फीट लम्बा अर्थात कुल 6192 वर्ग फीट **यानि 0.0572 है** भूमि का नवीन रास्ता कायम किये जाने और अप्रार्थीगण को भूमि की क्षतिपूर्ति के रूप में ख.नं. 508 व 506 की वर्तमान डीएलसी दर के दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीगण को किये जाने के आदेश दिये जाते है। क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान होने पर तहसीलदार सुनेल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। नवीन रास्ता का उपयोग सार्वजनिक रूप से किया जावेगा।

निर्णय आज दिनांक 05.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05/03/2025

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.24 11:28:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner